भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4651

उत्तर देने की तारीख 22.07.2019

हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची

4651. श्री सुरेश कश्यपः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से ट्रांस गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा किस तिथि को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और इसकी स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार का उत्तराखंड के जोनसर बाबर क्षेत्र की तर्ज पर सिरमौर जिले के हट्टी क्षेत्र को जनजाति का दर्जा कब तक प्रदान करने का विचार है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(सुश्री रेणुका सिंह सरूता)

(क) तथा (ख): जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र दिनांक 04.05.2005 के माध्यम से एक प्रस्ताव भेजा था।

(ग): भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (दिनांक 25.06.2002 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन हेतु दावे तय करने तथा अन्य संशोधनों के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं | इन प्रविधियों के अनुसार केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारिश की जाती है तथा जिसपर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा सहमति प्राप्त हो |

तदनुसार, प्रस्ताव को इन प्रविधियों के अनुसार संसाधित और अस्वीकार कर दिया गया था और इसे हिमाचल प्रदेश सरकार को जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 16.03.2017 के पत्र के माध्यम से अवगत करा दि या गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 04.12.2018 के पत्र के माध्यम से पहले ही खारिज किए गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।

प्रस्ताव पर समस्त कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

(घ): पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित करने के लिए मौजूदा मानदंड हैं:

(i) जनजातीय जनसंख्या का पूर्वानुपात,

(ii) क्षेत्र की संरचना और उचित आकार

(iii) एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका, और

(iv) पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में क्षेत्रों का आर्थिक पिछड़ापन।

सभी प्रस्तावों की उपरोक्त मानदंडों के अनुसार जांच की जाती है।

****